

स्वीकृति पत्र

दिनांक:

प्रति,

उधारकर्ता का नाम	
उधारकर्ता का स्थायी पता	
उधारकर्ता का वर्तमान पता	
उधारकर्ता का संपर्क नंबर	
सह-उधारकर्ता का नाम	
सह-उधारकर्ता का पता	

विषय: सीजी ऋण द्वारा सुरक्षित एमबीएल प्राप्त करने के लिए आपका आवेदन संख्या 200168116

प्रिय महोदय/महोदया,

हम, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (इसके बाद बैंक/एयूएसएफबी के रूप में भी जाना जाता है) को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि एमबीएल सिक्योरिटी बाय सीजी ऋण की मंजूरी के लिए आपका आवेदन बैंक द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। ऋण का अनुदान हर समय निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगा।

ऋण राशि	प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय दर (%)	ईएमआई (रुपये में)	कार्यकाल (महीनों में)	ईएमआई की देय तिथि	आवृत्ति

स्वीकृति पत्र को डुप्लिकेट में अग्रेषित किया जाता है ताकि आप लिखित रूप में पुष्टि कर सकें कि स्वीकृति पत्र में उल्लिखित नियम और शर्तें स्वीकार्य हैं। कृपया हस्ताक्षर करें और डुप्लिकेट कॉपी वापस कर दें।

यदि आपको अपने ऋण खाते के संबंध में किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया बेझिझक हमारे रिलेशनशिप मैनेजर को कॉल करें। हमारी रिलेशनशिप टीम को आपकी सहायता करने में खुशी होगी।

स्वीकृत ऋण सुविधा के नियम और शर्तें

1	सुविधा का प्रकार	
2	सुविधा राशि	
3	कार्यकाल (ईएमआई)	
4	सुविधा का उद्देश्य	
5	ब्याज दर का प्रकार	

कर्जदार

सह-उधारकर्ता

6	प्रभावी ब्याज दर (%)							
7	बेंचमार्क दर*(%)							
8	ईएमआई चक्र की तारीख							
9	अधिकतम ब्याज (कैप): प्रकृति द्वारा तय ऋण के मामले में							
10	ईएमआई प्रीकैंसी							
11	आवृत्ति रीसेट करें							
12	किस्त राशि							
13	चुकौती प्रकार							
14	प्राथमिक सुरक्षा	उधारकर्ता की सभी प्राथमिक प्रतिभूति (वर्तमान संपत्ति और अचल संपत्ति, यदि कोई हो, सहित) पर हाइपोथिकेशन के माध्यम से पहला और अनन्य प्रभार। - ऋण सुविधा के संबंध में प्राथमिक सुरक्षा का अर्थ होगा सुविधा से बनाई गई परिसंपत्तियां और/या उधारकर्ता की कोई भी भाररहित संपत्ति जो उस परियोजना या व्यवसाय से जुड़ी है जिसके लिए सुविधा/उन्नत किया गया है (व्यक्तिगत संपत्ति को बाहर रखा जाना है)। - कोई संपार्श्विक प्रतिभूति/तृतीय पक्ष गारंटी लागू नहीं होगी। - सीजीएफएमयू गारंटी के तहत कवर किया जाएगा। प्रीमियम की लागत बैंक द्वारा वहन की जानी चाहिए।						
15	विशेष शर्त	आवेदक या सह-आवेदक के पक्ष में भुगतान 2 पत्नी की एसपीडीसी ली जानी है पुनर्भुगतान AUSFB से होना चाहिए पिछले 2 साल का सीए प्रमाणित आईटीआर लिया जाएगा स्वयं की संपत्ति का प्रमाण लिया जाना है						
16	सुरक्षा/शर्तें पूर्विका/प्रलेखन	- ऋण समझौता/डीपीएन/अपरिवर्तनीय पावर ऑफ अटॉर्नी/घोषणा सह क्षतिपूर्ति। - पीडीसी/एसीएच/स्थायी निर्देश। - एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा सिबिल चेक - संवितरण से पहले सत्यापन के लिए सभी मूल दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने वाले - संवितरण क्रेडिट सत्यापन संतोषजनक होने के अध्वधीन है - सभी दस्तावेजों को उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता द्वारा स्व-सत्यापित किया जाना चाहिए। - ऋण का वितरण कानूनी और तकनीकी मंजूरी के अधीन किया जाएगा।						
17	सुरक्षा पीडीसी							
18	व्यक्तिगत/कॉर्पोरेट गारंटी	एनए						
19	सत्यापन	समय-समय पर उधारकर्ता बैंक द्वारा अनुमोदित एजेंसी/प्रतिनिधि द्वारा वित्तपोषित परिसंपत्तियों के सत्यापन की सुविधा प्रदान करेगा। ऐसी सत्यापन लागत, यदि कोई हो, उधारकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।						
20	वैधता	ऊपर प्रस्तावित शर्तें पत्र जारी होने की तारीख से 45 दिनों की अवधि के लिए वैध हैं।						
21	अतिदेय ईएमआई पर ब्याज	ब्याज की अनुबंधित दर (ऋण आईआरआर) पर।						
22	ईएमआई डिफॉल्ट पर दंडात्मक शुल्क	1000 रुपये प्रति 1000 रुपये (या उसके हर हिस्से पर) बकाया किस्त पर रोजाना 0.65 रुपये का शुल्क लिया जाएगा						
23	पूर्व भुगतान दंड	<table><tr><th colspan="2">आंशिक पूर्व भुगतान के लिए</th></tr><tr><td>यदि अंतिम संवितरण तिथि से 6 महीने तक भुगतान किया जाता है</td><td>राशि का 5% जो आंशिक प्रीपेड है।</td></tr><tr><td>यदि 6 महीने के बाद और अंतिम संवितरण तिथि से 12 महीने तक भुगतान किया जाता है</td><td>यदि वित्त वर्ष में कुल राशि पीओएस (वित्त वर्ष की शुरुआत) के 25% तक जमा की जाती है तो कोई पूर्व भुगतान शुल्क नहीं लिया जाएगा।</td></tr></table>	आंशिक पूर्व भुगतान के लिए		यदि अंतिम संवितरण तिथि से 6 महीने तक भुगतान किया जाता है	राशि का 5% जो आंशिक प्रीपेड है।	यदि 6 महीने के बाद और अंतिम संवितरण तिथि से 12 महीने तक भुगतान किया जाता है	यदि वित्त वर्ष में कुल राशि पीओएस (वित्त वर्ष की शुरुआत) के 25% तक जमा की जाती है तो कोई पूर्व भुगतान शुल्क नहीं लिया जाएगा।
आंशिक पूर्व भुगतान के लिए								
यदि अंतिम संवितरण तिथि से 6 महीने तक भुगतान किया जाता है	राशि का 5% जो आंशिक प्रीपेड है।							
यदि 6 महीने के बाद और अंतिम संवितरण तिथि से 12 महीने तक भुगतान किया जाता है	यदि वित्त वर्ष में कुल राशि पीओएस (वित्त वर्ष की शुरुआत) के 25% तक जमा की जाती है तो कोई पूर्व भुगतान शुल्क नहीं लिया जाएगा।							

			वित्त वर्ष में कुल आंशिक प्रीपेड राशि का 5%, यदि सभी पार्ट प्री-पेमेंट का योग वित्त वर्ष की शुरुआत में मूलधन खोलने की 25% की सीमा को पार कर जाता है। यानी शुल्क उसी वित्त वर्ष में आंशिक रूप से प्री-पेड कुल राशि पर लागू होगा।
		यदि अंतिम संवितरण तिथि से 12 महीने के बाद भुगतान किया जाता है	यदि पीओएस (वित्त वर्ष से शुरू) के 25% तक राशि जमा की जाती है तो कोई पूर्व भुगतान शुल्क नहीं लिया जाएगा।
			वित्त वर्ष में कुल आंशिक प्रीपेड राशि का 4%, यदि सभी पार्ट प्री-पेमेंट का योग वित्त वर्ष की शुरुआत में मूलधन खोलने की 25% की सीमा को पार कर जाता है। यानी शुल्क उसी वित्त वर्ष में आंशिक रूप से प्री-पेड कुल राशि पर लागू होगा।
		पूर्ण बंद होने के तहत	
		यदि अंतिम संवितरण तिथि से 12 महीने तक भुगतान किया जाता है	बंद होने के समय शेष राशि का 5%।
		यदि अंतिम संवितरण तिथि से 12 महीने के बाद भुगतान किया जाता है	बंद होने के समय शेष राशि का 4%।

नोट :

नोट: ईबीआर/एमसीएलआर/रेपो दर बैंक द्वारा वेबसाइट पर मासिक आधार पर प्रकाशित की जाएगी <https://www.au.bank.in/interest-rates/mclr>

लागू शुल्क:

विवरण	राशि (रुपये में)
प्रोसेसिंग फीस	5,900
स्टाम्प शुल्क	0
मुद्रांकन व्यय	0
सीआईपीए	0
PA+ EMI प्रोटेक्ट	0
स्टैंडअलोन ईएमआई प्रोटेक्ट	0
बीमा - सीआई और पीए**	0
बीमा - GPA और हॉस्पिकैश**	433
बीमा - जीवन**	0
बीमा - एयू एसएस**	0
बीमा - एयू बीजीआर**	0
बीमा - स्वास्थ्य**	0

**वैकल्पिक

*जैसा लागू हो और ऊपर उल्लेख किया गया है, प्री ईएमआई. वास्तविक प्री-ईएमआई संवितरण की तारीख के आधार पर भिन्न हो सकती है और इसे संवितरण राशि से काट लिया जाएगा

बैंक की वेबसाइट पर उल्लिखित बैंक के प्रभागों की अनुसूची के अनुसार उधारकर्ता द्वारा वहन किए जाने वाले अन्य सभी शुल्क - <https://www.au.bank.in/service-fee>

कर्जदार

सह-उधारकर्ता

नियम और शर्तें

एक. (क) जिस दर पर ईएमआई की गणना की गई है, उस दर पर ईएमआई पूर्व ब्याज का प्रभारित किया जाएगा, ऋण के संबंध में संवितरण की संबंधित तिथि से लेकर ईएमआई शुरू होने की तारीख तक प्रभारित किया जाएगा।

(ख) ईएमआई में मूलधन और ब्याज शामिल होते हैं जिसकी गणना लागू दर पर मासिक विश्राम के आधार पर की जाती है, जिसे अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाता है।

दो. ईएमआई, प्री-ईएमआई ब्याज का भुगतान हर महीने की आपकी साइकिल तिथि पर या उससे पहले किया जाना चाहिए।

तीन. किस्त अनुसूची आम तौर पर पुनर्भुगतान अनुसूची के नियमों और शर्तों के अधीन मासिक किस्तों के बराबर होती है और परिचालन मुद्दों, छुट्टियों आदि को दूर करने के लिए, दंडात्मक ब्याज और अन्य शुल्कों से बचने और अपराध की स्थिति से बचने के लिए नियत तिथियों पर ईएमआई की निकासी के लिए ईएमआई की नियत तारीख से 2-3 दिन पहले बैंक खातों में पर्याप्त शेष राशि रखने की सलाह दी जाती है। संबंधित देय तिथियों पर देय और देय ईएमआई की राशि, अब तक वसूल किया गया मूलधन और ब्याज, ईएमआई राशि, बची हुई ईएमआई की संख्या और ऋण की ब्याज दर को भी बैंक के एयू0101 मोबाइल एप्लिकेशन से देखा / डाउनलोड किया जा सकता है।

चार. ऋण को उधारकर्ता की सुविधा से बनाई गई परिसंपत्तियों पर पहले और विशेष शुल्क द्वारा सुरक्षित किया जाएगा जो कि सीधे उस परियोजना या व्यवसाय से जुड़े हैं जिसके लिए सुविधा उन्नत की गई है (व्यक्तिगत संपत्ति को बाहर रखा जाना है)।

पाँच. प्रीमियम की स्वीकृति संबंधित बीमा कंपनी को जोखिम की स्वीकृति के लिए उत्तरदायी नहीं बनाती है। बीमा कवर बीमा कंपनी की संतुष्टि और अपेक्षित दस्तावेजों, ब्यौरों और चिकित्सा परीक्षाओं के संचालन (बीमा कंपनी के कहने पर) प्रस्तुत करने के अधीन है। संबंधित बीमा कंपनी द्वारा आवेदन के तहत जोखिम स्वीकार किए जाने और बीमित व्यक्ति को इस तरह के लेखन के बारे में सूचित किए जाने के बाद बीमा कवर शुरू होगा। बीमा कवर संबंधित बीमा कंपनी द्वारा जारी/विस्तारित किया जाएगा और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक केवल एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है।

छ. उधारकर्ता को प्रस्तावित या स्वीकृत अतिरिक्त सीमाओं के मामले में, उपरोक्त अनुसूची में निर्धारित प्रतिभूति पर बैंक के मौजूदा प्रभार को भी ऐसी प्रस्तावित या स्वीकृत अतिरिक्त सीमा और/या बैंक की स्वीकृत शर्तों के अनुसार विस्तारित किया जाएगा।

सात. बैंक को किसी भी परिवर्तन के बारे में उधारकर्ता द्वारा लिखित रूप में तुरंत सूचित किया जाएगा: पत्राचार पते / संपर्क विवरण में, रोजगार में परिवर्तन, नौकरी की हानि, व्यवसाय, पेशे की हानि, जैसा भी मामला हो सकता है कि इस तरह के परिवर्तन/हानि के तुरंत बाद। उधारकर्ता संपत्ति में देरी, हानि/क्षति के कारणों को सूचित करेगा और संपत्ति में परिवर्तन/परिवर्तन को भी सूचित करेगा।

आठ. यह स्वीकृति पत्र रद्द और रद्द हो जाएगा और पूरी तरह से शून्य और शून्य हो जाएगा यदि:

(अ) प्रस्ताव में कोई भी भौतिक परिवर्तन होता है जिसके लिए सुविधा सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत है।

(आ) आय, या चुकाने की क्षमता या सुविधा के लिए प्रस्ताव या आवेदन के किसी अन्य प्रासंगिक पहलू से संबंधित किसी भी भौतिक तथ्य को रोक दिया जाता है, दबाया जाता है, छुपाया जाता है, या बैंक को नहीं बताया जाता है।

(इ) ऋण आवेदन में दिया गया कोई भी कथन गलत या असत्य पाया जाता है।

नौ. सभी स्टॉप शुल्क और पंजीकरण शुल्क, यदि कोई हो, जैसा कि संबंधित राज्य में स्टाम्प अधिनियम के तहत लागू होता है, जहां सुविधा के संबंध में कोई भी दस्तावेज उधारकर्ता द्वारा बैंक के पक्ष में निष्पादित किया जाता है, उधारकर्ता द्वारा पूर्ण रूप से देय होगा।

दस. बैंक द्वारा आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं का पालन न करने की स्थिति में, बैंक को भुगतान किए गए सभी शुल्क गैर-वापसी योग्य होंगे।

ग्यारह. इस स्वीकृति पत्र को जारी करने से उधारकर्ता को कोई कानूनी अधिकार नहीं मिलता है और बैंक को ऊपर उल्लिखित किसी भी कारण से या अन्यथा इस स्वीकृति पत्र को रद्द करने की पूरी स्वतंत्रता होगी।

बारह. सुविधा के लिए ब्याज दर का प्रकार निश्चित है और बैंक की नीति के अनुसार और/या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्देशित किया जा सकता है, परिवर्तन के अधीन है।

तेरह. सुविधा की मुद्रा के दौरान कोई भी चूक, धोखाधड़ी, कानूनी अक्षमता, इसके तहत निर्धारित सहमत नियमों और शर्तों का पालन न करना, आवश्यक कागजात जमा न करना, सुविधा में बकाया राशि पर उधारकर्ता की कोई अन्य अनियमितताएं बैंक को किसी अन्य दस्तावेज में उल्लिखित किसी भी छूट अवधि/इलाज अवधि के बावजूद तुरंत सुविधा को वापस लेने में सक्षम बनाएंगी।

चौदह. बैंक के पास ग्रहणाधिकार का अधिकार होगा और उधारकर्ता और/या बंधककर्ता और/या सह-उधारकर्ता और/या गारंटर की राशि या जमा या किसी अन्य संपत्ति पर बैंक के पास पड़ी हुई संपत्ति पर सेट ऑफ होगा।

पंद्रह. बैंक को ईबीआर/एमसीएलआर को किसी भी वैकल्पिक दर के साथ प्रतिस्थापित करने/बदलने या ईबीआर/एमसीएलआर या ऐसी दर पर स्प्रेड को बदलने का अधिकार है, बैंक की नीति के अनुसार या आरबीआई/वैधानिक निर्देश द्वारा आवश्यक हो सकता है।

सोलह. यह स्वीकृति पत्र जारी होने की तारीख से 45 दिनों की अवधि के लिए वैध है।

सत्रह. सुविधा अवधि के दौरान आंशिक भुगतान/अतिरिक्त राशि के खिलाफ ग्राहक द्वारा भुगतान की गई कोई भी राशि, आंशिक भुगतान लागू पूर्व भुगतान शुल्क, यदि कोई हो, की कटौती के बाद अगली ईएमआई तिथि से प्रभावित होगा।

अठारह. कृपया ध्यान दें कि इस स्वीकृति पत्र में सांकेतिक नियम और शर्तें शामिल हैं और यह सुविधा के वितरण के लिए बैंक की ओर से कोई दायित्व नहीं बनाता है।

उन्नीस. इसके अलावा, यह मंजूरी किसी में निहित नहीं है; किसी भी कारण से बैंक के खिलाफ किसी भी नुकसान का दावा करने का अधिकार।

कर्जदार

सह-उधारकर्ता

बीस. बैंक द्वारा स्वीकृत सुविधा का उपयोग उधारकर्ता द्वारा विशेष रूप से यहां निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाएगा। यदि बैंक द्वारा सुविधा का उपयोग किया जाता है या पाया जाता है कि बैंक द्वारा यहां निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य उद्देश्य के लिए उधारकर्ता द्वारा उपयोग किया जा सकता है, तो बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना, बैंक सुविधा को वापस लेने या दंडात्मक ब्याज दर वसूलने या लागू ब्याज दर को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगा, जैसा कि बैंक उचित समझे।

इक्कीस. आंशिक भुगतान बकाया मूलधन पर लागू किया जाएगा, देय ईएमआई और शुल्क, यदि कोई हो, के समायोजन के बाद।

बाईस. बैंक ऋण राशि से अग्रिम कटौती करने का हकदार होगा (संवितरण से पहले उधारकर्ता द्वारा भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में), इस स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उल्लिखित शुल्क और ऋण राशि के संवितरण के समय उसके केएफएस। बैंक उधारकर्ता की ओर से उधारकर्ता या किसी तीसरे पक्ष को शेष ऋण राशि का वितरण करेगा, जैसा भी मामला हो, और उधारकर्ता ऋण राशि को सहमत ब्याज के साथ और ऐसी तिथियों/अंतरालों पर चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा। आपको धन्यवाद, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के लिए

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

कर्जदार

सह-उधारकर्ता

मुख्य तथ्य कथन
भाग 1 (ब्याज दर और शुल्क/शुल्क)

1	ऋण प्रस्ताव/खाता सं.		ऋण का प्रकार				
2	स्वीकृत ऋण राशि (रुपये में)						
3	संवितरण अनुसूची (१) चरणों में संवितरण या 100% अग्रिम में। (२) यदि यह चरणवार है, तो प्रासंगिक विवरण वाले ऋण समझौते के खंड का उल्लेख करें						
4	ऋण अवधि (वर्ष/महीने/दिन)						
5	किस्त का विवरण						
किश्तों का प्रकार		ईपीआई की संख्या	ईपीआई (₹)	मंजूरी के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत			
6	ब्याज दर (%) और प्रकार (निश्चित या फ्लोटिंग या हाइब्रिड)				18% (फिक्स्ड)		
7	ब्याज की फ्लोटिंग दर के मामले में अतिरिक्त जानकारी						
हवाला कसौटी	बेंचमार्क दर (%) (B)	स्प्रेड (%) (एस)	अंतिम दर (%) R = (B) + (S)	आवधिकता रीसेट करें (महीने)		संदर्भ बेंचमार्क में परिवर्तन का प्रभाव ('आर' में 25 बीपीएस परिवर्तन के लिए, में बदलें:)	
				जन्म	दक्षिणी	ईपीआई (₹)	नहीं। ईपीआई की संख्या
एन / ए	एनए	एनए	एन / ए	एन / ए	एन / ए	एन / ए	एन / ए
8	शुल्क/शुल्क						
		आरई (ए) के लिए देय		आरई (बी) के माध्यम से किसी तीसरे पक्ष को देय			
		एक बार/आवर्ती	राशि (₹ में) या लागू प्रतिशत (%)	एक बार/आवर्ती	राशि (₹ में) या लागू प्रतिशत (%)		
1	प्रोसेसिंग फीस	एक बार	5,900				
2	कानूनी और आकस्मिक शुल्क	एक बार					
3	आरसीयू शुल्क	एक बार					
4	मुद्रांकन व्यय	एक बार	0				
5	स्टाम्प शुल्क	एक बार	0				
6	मूल्यांकन शुल्क	एक बार					
7	बीमा शुल्क			एक बार	433		
9	वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) (%)						
10	आकस्मिक शुल्क का विवरण (₹ या % में, जैसा लागू हो)						
(i)	भुगतान में देरी के मामले में दंडात्मक शुल्क, यदि कोई हो,		ईएमआई डिफॉल्ट पर दंडात्मक शुल्क: 1000 रुपये (या उसके हर हिस्से) पर 0.65 रुपये प्रति बकाया किस्त पर रोजाना शुल्क लिया जाएगा।				
(ii)	अन्य दंडात्मक शुल्क, यदि कोई हो		एनए				
(iii)	फौजदारी शुल्क, यदि लागू हो		यदि अंतिम संवितरण तिथि से 12 महीने तक भुगतान किया जाता है		बंद होने के समय शेष राशि का 5%।		

कर्जदार
सह-उधारकर्ता

		यदि अंतिम संवितरण तिथि से 12 महीने के बाद भुगतान किया जाता है	बंद होने के समय शेष राशि का 4%।
(iv)	से ऋण बदलने के लिए शुल्क निश्चित दर के लिए चर/फ्लोटिंग और इसके विपरीत	बकाया मूलधन का 1%	
(v)	कोई अन्य शुल्क (कृपया निर्दिष्ट करें)	(प्रभारों की अनुसूची के अनुसार) - https://www.au.bank.in/service-fee	

भाग 2 (अन्य गुणात्मक जानकारी)

1	वसूली एजेंटों की नियुक्ति से संबंधित ऋण समझौते का खंड	बैंक, अपने विवेकाधिकार में, समझौते के तहत अपने किसी भी अधिकार, कार्य, शक्तियों या कर्तव्यों का प्रयोग या निर्वहन कर सकता है, या तो स्वयं (अपने अधिकारियों या कर्मचारियों के माध्यम से) या अपने नियुक्त तीसरे पक्ष (वसूली एजेंटों सहित) के माध्यम से।		
2	ऋण समझौते का खंड जो शिकायत निवारण तंत्र का विवरण देता है	फ़ोन : 1800 1200 1200 कॉल सेंटर ईमेल : customercare@aubank.in		
3	नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का फोन नंबर और ईमेल आईडी	स्तर 1	शाखा/परिसंपत्ति केंद्र	(निकटतम शाखा/परिसंपत्ति केंद्रों का पता लगाने के लिए कृपया www.au.bank.in पर जाएं)
		स्तर 2	शिकायत निवारण अधिकारी कार्यालय का पता: -19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर, 302001	कॉल करें: +91-8690998401 समय: सुबह 9.15 बजे से शाम 6:15 बजे तक सोमवार से शनिवार (दूसरे और चौथे शनिवार और बैंक अवकाश को छोड़कर) ईमेल: grievance.redressal@aubank.in में
		स्तर 3	प्रधान नोडल अधिकारी	यदि शिकायत का समाधान नहीं होता है या यदि ग्राहक विभिन्न शिकायत समाधान चैनलों से संपर्क करने के बाद भी 15 कार्य दिवसों के भीतर प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो शिकायत को प्रधान नोडल तक पहुंचाया जा सकता है अधिकारी पर: प्रधान नोडल अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड CP3- 235, औद्योगिक क्षेत्र, परिधान पार्क, महल रोड, जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान, पिन - 302022 या भेजें एक ई-मेल पर: pno@aubank.in
4	चाहे ऋण हो, या भविष्य में, अन्य आरई या प्रतिभूतिकरण में हस्तांतरण के अधीन हो (हां/नहीं)	हाँ		
5	सहयोगात्मक ऋण व्यवस्था (जैसे, सह-ऋण/आउटसोर्सिंग) के तहत ऋण देने के मामले में, निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं:			
मूल आरई का नाम, इसके वित्त पोषण अनुपात के साथ		साझेदार आरई का नाम और उसके वित्त पोषण के अनुपात के साथ		मिश्रित ब्याज दर
एनए		एनए		एनए
6	डिजिटल ऋणों के मामले में, निम्नलिखित विशिष्ट खुलासे प्रस्तुत किए जा सकते हैं:			

(i)	आरई के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के संदर्भ में कूलिंग ऑफ/लुक-अप अवधि, जिसके दौरान उधारकर्ता से ऋण के पूर्व भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा	एनए
(ii)	वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने वाले और उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए अधिकृत एलएसपी का विवरण	एनए

अनुलग्नक बी

खुदरा और एमएसएमई ऋणों के लिए एपीआर की गणना के लिए उदाहरण

Sr.No	प्राचल	विवरण
1	स्वीकृत ऋण राशि (रुपये में) (केएफएस टेम्पलेट का क्रम संख्या 2 - भाग 1)	
2	ऋण अवधि (वर्षों/महीनों/दिनों में) (केएफएस टेम्पलेट का क्रम संख्या 4 - भाग 1)	
a)	नहीं। (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?	
b)	प्रत्येक ईपीआई की ईपीआई राशि (रुपये में) और संख्या का प्रकार। ईपीआई की संख्या (उदाहरण के लिए, मासिक किश्तों के मामले में ईएमआई की संख्या) (केएफएस टेम्पलेट का क्रम संख्या 5 - भाग 1)	
c)	नहीं। पूंजीकृत ब्याज के भुगतान के लिए किश्तों की संख्या, यदि कोई हो,	
d)	पुनर्भुगतान की शुरुआत, मंजूरी के बाद (केएफएस टेम्पलेट का क्रम संख्या 5 - भाग 1)	
3	ब्याज दर प्रकार (निश्चित या फ्लोटिंग या हाइब्रिड) (केएफएस टेम्पलेट का एसएल नंबर 6 - भाग 1)	
4	ब्याज दर (केएफएस टेम्पलेट का क्रम संख्या 6 - भाग 1)	
5	स्वीकृति तिथि को प्रचलित दर के अनुसार ऋण की पूरी अवधि के दौरान ली जाने वाली कुल ब्याज राशि (रुपये में)	
6	देय शुल्क/शुल्क (रुपये में)	
A	आरई के लिए देय (केएफएस टेम्पलेट-भाग 8 का एसएल नंबर 1)	
जन्म	आरई के माध्यम से रूट किए गए तृतीय-पक्ष को देय (केएफएस टेम्पलेट का एसएल नंबर 8बी - भाग 1)	
7	शुद्ध वितरित राशि (1-6) (रुपये में)	
8	उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि (1 और 5 की राशि) (रुपये में)	
9	वार्षिक प्रतिशत दर- प्रभावी वार्षिक ब्याज दर (प्रतिशत में) (केएफएस टेम्पलेट-भाग 1 का क्रम संख्या 9)	
10	नियम और शर्तों के अनुसार संवितरण की अनुसूची	अनुलग्नक सी का संदर्भ लें
11	किस्त और ब्याज के भुगतान की देय तिथि	हर महीने की 12 तारीख

अनुलग्नक सी

अनुलग्नक बी में दर्शाए गए काल्पनिक ऋण के लिए समान आवधिक किस्त के तहत उदाहरणात्मक पुनर्भुगतान अनुसूची

किस्त संख्या	बकाया मूलधन (रुपये में)	मूलधन (रुपये में)	ब्याज (रुपये में)	किस्त (रुपये में)
1				
2				
3				
4				
5				

कर्जदार

सह-उधारकर्ता

6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

मैं/हम, उधारकर्ता यहां उल्लिखित उपरोक्त नियमों और शर्तों या अन्य लेनदेन दस्तावेजों की स्वीकृति की पुष्टि करता है, साथ ही ऋण के संबंध में मेरे द्वारा पहले निष्पादित/निष्पादित किए जाने वाले अनुसूचियों के साथ। मैं/हम एतद्वारा आपको अपने बैंक के साथ बनाए गए मेरे / हमारे खाते को प्रसंस्करण शुल्क, ब्याज, लागत, शुल्क, खर्च, कमीशन, जो उपर्युक्त क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में लागू हो सकता है, के साथ लागू करेंगे के लिए डेबिट करने के लिए अधिकृत करते हैं।

द्वारा स्वीकृत:

(उधारकर्ता)

(सह-उधारकर्ता)

(गारंटर)

दिनांक:
स्थान:

कर्जदार

सह-उधारकर्ता

कर्जदार

सह-उधारकर्ता

Disclaimer : - Please note that above mentioned credit facility agreement, terms & conditions, key fact statement and other associated documents are translated from the original document in English using technology for customer's Convenience and to improve transparency in communication. which can have few aberrations, brevity and grammatical errors hence for any legal purposes English version of document (appended) will be referred.